रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2009/फाल्गुन 28, 1930

No. 481] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2009/PHALGUNA 28, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2009

का.आ. 783(अ).—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा ऐसे पादपों और वन्यजीव प्रजातियों को अधिसूचित करती है, जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में इस अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके संग्रहण को प्रतिबंधित या विनियमित करती है, नामशः :—

तालिका

क्र. सं.	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
	पादप
1.	*एकोनिटम डीनोराइजम* स्टैप
2.	*एकोनिटम हीट्रोफाइलम* वाल एक्स रॉयले
3.	*एकोनिटम वायोलेसियम* जैक, एक्स स्टैप
4.	*एरीमोस्टाकिस सुपर्वा* रॉयले एक्स बेंथ
5.	*जास्मिनम पारकेरी* डुन्न
6.	*नार्डोस्टाकिस ग्रांडीफ्लोरा* डी सी
7.	*डैक्टीलोरिजा हेटेजीरा*
8.	*टैक्सस वालीचियाना*
	वन्यजीव
9.	*मुरीना ग्रीसिया* पीटर्स, 1872
10.	*सर्वस डुवाउसेली* (क्यूवियर, 1823)
11.	*काप्रा फाल्कोनेरी* (वैग्नर)
12.	*मोस्कस क्राइसोगास्टर* (होडग्सन, 1839)
13.	*जिप्स बेंगालेंसिस* (मेलिन, 1788)
14.	*जिप्स टेन्यूरोस्ट्रिस* ग्रे, 1844
15.	*सार्कोजिप्स काल्वस* (स्कोपोली, 1786)
16.	*वेनेलस ग्रीगेरियस* (पल्लास, 1771)
17.	*सर्वस एलाफस हेंगुली*
18.	*केप्रीकार्निस सुमात्रेंसिस*

अनुबंध

शर्त सं.	शर्तें
1.	किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों को छोड़कर, ऊपर अधिसूचित पादप अथवा वन्यजीव प्रजातियों का जीवित अथवा मृत अवस्था में संग्रह नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में संबंधित राज्य के जैवविविधता बोर्ड से अनुमोदन न लिया गया हो और यह अनुमोदन भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) या संगत राज्य के वन और वन्यजीव विधानों के उपबंधों के अनुरूप भी हो; नामशः :— (क) वैज्ञानिक अनुसंधान; (ख) हरबेरियम और वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थाओं का संग्रहालय; (ग) प्रचार; और (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण ।

(1)	(2)
2.	संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्ड निम्नलिखित अथवा कार्रवाई करेंगे :—
	(i) समग्र जानकारी के लिए, अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करना ।
	(ii) स्वस्थाने और स्थान वाह्य संरक्षण और पुन:स्थापन के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
	(iii) जागरूकता कार्यक्रम चलाना और वन विभाग के कार्मिकों, जैवविविधता प्रबंधन समितियों, पारिपर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों तथा जनजातियों को अधिसूचित प्रजातियों के संबंध में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना ।

[फा. सं. 28-12/2008-सी एस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2009

S.O. 783(E).—In exercise of powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government in consulation with the Government of Himachal Pradesh, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table given below, and prohibit or regulate the collection thereof subject to the conditions specified in the Annexure to this notification, for the State of Himachal Pradesh, namely :—

Sl. No.	Name of the species
(1)	(2)
	Plants
1.	*Aconitum deinorrhizum* Stapf
2.	*Aconitum heterophyllum* Wall. ex Royle
3.	*Aconitum violaceum* Jacq. Ex Stapf
4.	*Eremostachys superba* Royle ex Benth
5.	*Jasminum parkeri* Dunn
6.	*Nardostachys grandiflora* DC.
7.	*Dactylorrhiza hetegiera*
8.	*Taxus wallichiana*
	Animals
9.	*Murina grisea* Peters, 1872
10.	*Cervus duvaucelii* (Cuvier, 1823)
11.	*Capra falconeri* (Wagner)
12.	*Moschus chrysogaster* (Hodgson, 1839)
13.	*Gyps bengalensis* (Gmelin, 1788)
14.	*Gyps tenuirostris* Gray, 1844
15.	*Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786)
16.	*Vanellus gregarious* (Pallas, 1771)
17.	*Cervus elaphus hanguli*
18.	*Capricornis sumatraensis*

ANNEXURE

Condition No.	Conditions
1.	No plant or animal species as notified above shall be collected in live or dead condition by any except, for purposes mentioned below, with the approval of the concerned State Biodiversity Board; and also in accordance with the provisions of the Indain Forest Act, 1927 (16 of 1927) and the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) of the relevant State Forest and Wild Life Legislations, namely :— (a) Scientific research; (b) Herbarium and museum of scientific and academic institutions; (c) Propagation; and (d) Any other scientfic investigation.
2.	The concerned State Biodiversity Board shall initiate or conduct :— (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding; (ii) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and (iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.